क्रम संख्या–140

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2012–14

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, सोमवार, 13 मई, 2013 ई0

वैशाख 23, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विद्यालयी शिक्षा विभाग

संख्या 27/XXIV–5/2012

देहरादून, 13 मई, 2013

अधिसूचना

प0 आ0–81

राज्यपाल, राज्य में जन सहयोग के माध्यम से शिक्षा के समग्र विकास हेतु विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण, सुदृढ़ीकरण तथा गरीब एवं मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड जन सहयोग शिक्षा कोष योजना, 2013 स्थापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

उत्तराखण्ड जन सहयोग शिक्षा कोष योजना, 2013

अध्याय–एक

प्रारम्भिकी

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1. (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जन सहयोग शिक्षा कोष योजना, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत होगी।

उद्देश्य

2. इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे; अर्थात् :–

(क) जन सहयोग से उत्तराखण्ड राज्य में विद्यालयी शिक्षा के विकास;

(ख) विद्यालय भवनों का निर्माण, विस्तारीकरण कराना तथा विद्यालयों में शैक्षिक एवं काष्ठोपकरणों हेतु सहायता देना;

(ग) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उपकरण उपलब्ध कराना;

(घ) छात्रवृत्ति का संचालन करना; और

(ङ) विशेष विद्यालयों यथा–आवासीय विद्यालय, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के विद्यालय अथवा हॉस्टल सुविधायुक्त विद्यालय का सुदृढ़ीकरण है।

परिभाषाएँ

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस योजना में–

(क) **"विद्यालयी शिक्षा"** से राज्य के विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की शिक्षा व्यवस्था अभिप्रेत है;

(ख) **'कोष'** से प्रस्तर–4 के अधीन गठित "उत्तराखण्ड जन सहयोग शिक्षा कोष" अभिप्रेत है;

(ग) **'शासी निकाय'** से प्रस्तर–5 के अधीन गठित शासी निकाय अभिप्रेत है;

(घ) **'आय'** से कोष में संचित धनराशि पर अर्जित ब्याज अभिप्रेत है;

(ङ) **'कोष की मूल राशि'** से कारपस फण्ड के रूप में राज्य सरकार अथवा अन्य श्रोतों से प्राप्त धन अभिप्रेत है;

(च) **'राज्य सरकार'** से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(छ) **'वर्ष'** से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

अध्याय–2

कोष, आस्तियां एवं आय, शासी निकाय, बैठक, कार्यवाही, गणपूर्ति

कोष, आस्तियां एवं आय

4. उत्तराखण्ड जन सहयोग शिक्षा कोष योजना के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित आस्तियों से मिलकर एक कोष की स्थापना की जायेगी :–

(क) केन्द्र/राज्य सरकार, सरकारी/अर्द्धसरकारी निकायों से प्राप्त अभिदान, अनुदान;

(ख) उद्योगों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, ट्रस्टों, स्वैच्छिक समूहों अथवा गैर सरकारी संस्थाओं से प्राप्त आस्तियों/सहयोग,

(ग) व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत चन्दा आदि; और

(घ) पुरातन छात्र परिषदों/संघों से प्राप्त सहयोग।

शासी निकाय

5. उत्तराखण्ड जन सहयोग शिक्षा कोष योजना के क्रियान्वयन, कोष को संचालित करने तथा उसके अनुश्रवण तथा नियमन एवं कोष के आय–व्यय के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु निम्नवत् एक शासी निकाय का गठन किया जायेगा :–

(1)	मंत्री, विद्यालयी शिक्षा	अध्यक्ष;
(2)	सचिव, विद्यालयी शिक्षा	उपाध्यक्ष;
(3)	सचिव, वित्त अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव स्तर से कम न हो	सदस्य;
(4)	अपर सचिव, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा	सदस्य;
(5)	महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा	सदस्य–सचिव;
(6)	निदेशक, बेसिक, माध्यमिक, शोध एवं प्रशिक्षण	सदस्य;
(7)	वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा	सदस्य;
(8)	राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन शिक्षाविद्	सदस्य;

बैठक

6. (1) शासी निकाय की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी, किन्तु आवश्यकता होने पर बैठक कभी भी बुलायी जा सकेगी।

(2) बैठक की सूचना लिखित रूप से बैठक से न्यूनतम 15 दिन पूर्व दी जायेगी।

कार्यवाही

7. शासी निकाय की बैठक की कार्यवाही के अभिलेख सदस्य–सचिव द्वारा अनुरक्षित होंगे और प्रत्येक बैठक में पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करायी जायेगी।

गणपूर्ति

8. (1) शासी निकाय की बैठक की गणपूर्ति अध्यक्ष के अतिरिक्त कम से कम आधे सदस्यों से होगी।

(2) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित वरिष्ठतम सदस्य शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

अध्याय–3

कार्यालय, कोष, कोष का संचालन, कोष का प्रयोग, अंकेक्षण, बजट और आर्थिक सहायता, अनुदान की स्वीकृति

कार्यालय

9. (1) शासी निकाय का कार्यालय शिक्षा महानिदेशालय में होगा।

(2) योजना के लेखे के समुचित अनुरक्षण और वार्षिक लेखे के परीक्षण के लिए सदस्य–सचिव उत्तरदायी होगा।

कोष

10. योजना के अन्तर्गत प्राप्त आय को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कि जायेगा। यदि **कारपस फण्ड के रूप में** राज्य सरकार अथवा अन्य श्रोतों से धन प्राप्त होता है तो उस पर अर्जित व्याज को ही कोष के उद्देश्यों की पूर्ति में व्यय किया जायेगा, परन्तु कारपस फण्ड से इतर किसी भी स्तर से प्राप्त अनुदान/सहायता जिस प्रयोजनार्थ दी गयी हो उसी के अनुसार व्यय/उपयोग की जा सकेगी।

कोष का संचालन

11. (1) कोष का संचालन प्रचलित वित्तीय नियमों के अधीन तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(2) शासी निकाय के क्रियाकलापों का संचालन एवं कोष का रख रखाव सदस्य-सचिव के नियंत्रण में रहेगा।

(3) दानस्वरूप प्राप्त धनराशि की रसीद दानदाताओं को सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत की जायेगी।

कोष का प्रयोग

12. कोष का प्रयोग निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया जा सकेगा-

(1) राजकीय विद्यालयों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण/खेल मैदान अथवा ऐसे संसाधनों के विकास पर जिनके लिए अन्य स्रोतों से धनराशि की व्यवस्था न हो रही हो;

(2) किसी राजकीय विद्यालय विशेष हेतु दान सामग्री/धनराशि का उपयोग दानदाता के अनुरोधानुसार किया जायेगा;

(3) विद्यालयों के ऐसे विकास पर जिन्हें शासी निकाय उपयुक्त पाये;

(4) कोष का प्रयोग किसी भी निजी संस्था द्वारा संचालित विद्यालय अथवा किसी संस्था विशेष द्वारा संचालित विद्यालयों के लिए नहीं किया जायेगा;

(5) सदस्य सचिव द्वारा सहायता प्रदान किये जाने हेतु विवरण तैयार कर शासी निकाय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा;

(6) शासी निकाय की सहमति से सदस्य सचिव द्वारा विद्यालयों को सहायता प्रचलित दरों पर दी जायेगी;

(7) दानदाताओं द्वारा निम्नलिखित रमदों में सहयोग किया जा सकेगा :-

क्र. सं.	सहयोग हेतु मद	प्राइमरी	जूनियर हाईस्कूल	हाई स्कूल	इण्टरमीडिएट
		RS	RS	RS	RS
1	2	3	4	5	6
1.	स्कूल भवन	12,25,000=00	17,51,000=00	85,00,000=00	85,00,000=00
2.	प्रांगण विकास/ क्रीडास्थल	1,00,000=00	2,00,000=00	5,00,000=00	5,00,000=00

1	2	3	4	5	6
3.	काष्ठोपकरण	1,00,000=00	1,00,000=00	2,00,000=00	2,00,000=00
4.	वाचनालय कक्ष	–	7,00,000=00	11,00,000=00	11,00,000=00
5.	विज्ञान प्रयोगशाला	–	5,50,000=00	7,50,000=00	7,50,000=00
6.	कम्प्यूटर कक्ष	3,69,000=00	5,50,000=00	7,50,000=00	7,50,000=00
7.	विज्ञान प्रयोगशाला उपकरण	50,000=00	1,00,000=00	2,00,000=00	3,00,000=00
8.	कक्षा–कक्ष	3,69,000=00	3,69,000=00	7,00,000=00	7,00,000=00
9.	बहुउद्देशीय हॉल	–	–	25,00,000=00	25,00,000=00
10.	अन्य (जैसे मध्याह्न भोजन एवं उसमें गुण/ मूल्यवर्धन हेतु बर्तन, गैस की व्यवस्था आदि)	50,000=00	50,000=00	1,00,000=00	1,00,000=00

टिप्पणी– उक्त दरें तत्समय प्रचलित मानक लागत के आधार पर परिवर्तनशील होगी। सदस्य–सचिव द्वारा शासी निकाय के अनुमोदनोपरान्त दरों का वार्षिक प्रकाशन किया जायेगा।

(8) विशेष परिस्थितियों में दानदाताओं से शासी निकाय द्वारा प्रकाशित दरों से भिन्न अर्थात् अधिक एवं कम दर से धनराशि दानस्वरूप स्वीकार की जा सकेगी ।

(9) दानदाताओं द्वारा विद्यालयों अथवा किसी विद्यालय विशेष के लिए कोई सामग्री, जो शिक्षा के प्रयोजन विद्यालय में प्रयोग में लायी जाती हो, भी उपलब्ध करायी जा सकती है। सामग्री का मूल्य 1.00 लाख अथवा उससे अधिक होने की दशा में सामग्री के समपर्ण/दान का उल्लेख शासी निकाय की पूर्वानुमति से विद्यालय भवन में शिलापट्ट लगाकर किया जा सकेगा। दानदाताओं/सहयोगकर्ताओं द्वारा किसी विद्यालय विशेष को दी गयी धनराशि का विवरण उस विद्यालय के सूचना पट पर अंकित किया जा सकेगा।

दानदाताओं का नाम मुद्रित/ अंकित किया जाना

13. (1) दानदाताओं को आयकर में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय।

(2) दानदाताओं के नाम को उनकी इच्छानुसार मुद्रित/अंकित किया जायेगा।

अंकेक्षण

14. कोष के आय–व्यय का खाता अनुरक्षित किया जायेगा, जिसके अंकेक्षण आख्या शासी निकाय के सम्मुख प्रस्तुत की जायेगी।

बजट और आर्थिक सहायता

15. (1) कोष का वार्षिक बजट शासी निकाय के सदस्य–सचिव द्वारा प्रचलित वित्तीय नियम के अधीन निर्धारित कार्यों के लिए पृथक–पृथक तैयार किया जायेगा और शासी निकाय के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) कोष की मूलराशि का किसी भी स्थिति में उपयोग नहीं किया जायेगा।

(3) प्रत्येक वर्ष बजट के अनुमोदन के समय शासी निकाय इस योजना में उल्लिखित उद्देश्यों के अनुसार मापदण्ड/प्राथमिकता निर्धारित करेगी।

(4) शासी निकाय के सम्मुख विभिन्न कार्यों से सम्बन्धित प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। शासी निकाय अर्जित सहायता के सम्बन्ध में आवश्यकता/प्राथमिकतानुसार निर्णय लेगी तथा उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था करेगी।

अनुदान की स्वीकृति

16. शासी निकाय का सदस्य–सचिव प्रत्येक वर्ष निर्धारित सहायता/अनुदान हेतु विद्यालयों से आवेदन पत्र आंमत्रित करेगा। आवेदन–पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि शासी निकाय के अनुमोदन से निर्धारित की जायेगी। जिन विद्यालयों को दानदाता द्वारा इंगित किया गया हो, उन्हें उसी रूप में शासी निकाय के अनुमोदन से अनुदान/सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।

अध्याय–4

प्रकीर्ण

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

17. यदि इस योजना के प्रभावी कियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार आदेश जारी कर सकेगी जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत होते हों।

आज्ञा से,

मनीषा पंवार,
सचिव।